


**::स्थायीकरण आदेशः**

संस्था प्रधानाचार्यो द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अप्राविधिक अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2008 नियम-19 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को दो वर्ष की परीक्षा अवधि को सन्तोषजनक रूप में पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख पद पर स्थायी किया जाता है:-

**पुस्तकालयाध्यक्ष**

क्र० सं० (01)	कार्मिक का नाम (02)	सीधी भर्ती के पद का नाम (03)
01	श्री अजीत सिंह	पुस्तकालयाध्यक्ष
02	श्रीमती पूनम कश्यप	पुस्तकालयाध्यक्ष
03	श्री देवेन्द्र सिंह	पुस्तकालयाध्यक्ष
04	श्री हरिओम शर्मा	पुस्तकालयाध्यक्ष
05	श्री सलाहउद्दीन	पुस्तकालयाध्यक्ष
06	श्री ऋषिदेव राजभर	पुस्तकालयाध्यक्ष
07	श्री रविन्द्र सिंह	पुस्तकालयाध्यक्ष
08	श्री राजीव रत्न गिरी	पुस्तकालयाध्यक्ष
09	श्री मुनेश बाबू	पुस्तकालयाध्यक्ष
10	श्री भगवत दयाल	पुस्तकालयाध्यक्ष
11	श्री लेनिन पंत	पुस्तकालयाध्यक्ष
12	श्री शिव पूजन	पुस्तकालयाध्यक्ष
13	श्री रामप्रकाश	पुस्तकालयाध्यक्ष
14	श्री विनय शर्मा	पुस्तकालयाध्यक्ष
15	श्री बीरेन्द्र सिंह	पुस्तकालयाध्यक्ष
16	श्रीमती हेमा पंत	पुस्तकालयाध्यक्ष
17	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	पुस्तकालयाध्यक्ष
18	श्री अरविन्द किशोर बिष्ट	पुस्तकालयाध्यक्ष

2-उपरोक्त आदेश के क्रमवार से ज्येष्ठता का कोई सम्बन्ध नहीं है।


  
(हरि सिंह)  
निदेशक।

**प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)**

पृ०सं०-3990-93 / नि०प्रा०शि० / स्था०-31 / 2020-21      दिनांक 02 दिसम्बर 2020

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त, प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पालीटेक्निक, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी, कोषागार।
- 3-सम्बन्धित कार्मिक को प्रधानाचार्य के माध्यम से।
- 4-गार्ड फाइल।

  
(हरि सिंह)  
निदेशक।